न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील / 67 / 2019

अपींलाट यशोवर्द्धन शाण्डिल्य पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा
निवासी खागल मोहल्ला, बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर

<u>आदेश</u>

दिनांक : 21.10.2019

अपीलार्थी यशोवर्द्धन शाण्डिल्य पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा निवासी खागल मोहल्ला, बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 30.09.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर / पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10 /-- का पोस्टल ऑर्डर संख्या 922845 दिनांक 13.08.2019 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाऐं अत्यधिक विस्तृत एवं खोजबीन कर तैयार की जाने वाली है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) एवं 2(एफ) की परीधि में आने से देय नहीं है, लिहाजा अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने रेस्पोडेंट को सुना एवं प्रस्तुत अपील एव अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) मे प्राविधित किया गया है कि "साधारणतया सूचना उस रूप मे उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें वह मांगी गयी है, जब तक कि वह किसी लोक प्राधिकारी के साधनों का अनुपातिक रूप से अपयोजन न करें या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या परीक्षण के लिए हानिकर न हो।" अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट कार्यालय से चाही गई सूचनाऐं अत्यधिक विस्तृत एवं खोजबीन कर तैयार की जाने वाली है, जिसमें रेस्पोडेंट लोक प्राधिकारी के श्रम एवं साधनों का अनुपातिक रूप से अपयोजन होना प्रतीत होता हैं, लिहाजा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मे वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने मे असमर्थता प्रकट की गई है तथा यह न्यायालय रेस्पोडेंट के निर्णय से पूर्णतया सहमत हैं। ऐसे में अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर